

7/3/21
03/09/2021

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-1-07/2018

212

/पटना दिनांक-31/09/21

1. विभागीय पत्रांक-2883 दिनांक-08.03.2017 में संसूचित निर्णय के आलोक में कतिपय कनीय अभियंताओं को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखाओं का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है:-


(i) श्री राम कुमार पोद्दार (गृह जिला-बेगूसराय), कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज, कार्य प्रशाखा, पिपरा-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य प्रमंडल, वीरपुर के रिक्त कार्य प्रशाखा, बसंतपुर-2 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

(ii) श्री आलोक भूषण (गृह जिला-नालन्दा), कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज, कार्य प्रशाखा, फारबिसगंज-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, रानीगंज-2 एवं 4 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश बिल्कूल अस्थायी है, बिना किसी सूचना के कभी भी इस आदेश को निरस्त किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार वाले उक्त कार्य प्रशाखा में किसी कनीय अभियंता का पदस्थापन होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।

3. पूर्व में निर्गत उक्त से संबंधित आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-07/2018

4312

/पटना दिनांक-31/09/21

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा एवं किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/वीरपुर/फारबिसगंज एवं संबंधित कनीय अभियंता तथा अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-07/2018

4312

/पटना दिनांक-31/09/21

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख।